

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक: एफ 9-2/2017/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी, 2017

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय- शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण के अनुमोदन के संबंध में ।

संदर्भ- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 8/2009/नियम/चार, दिनांक 28 फरवरी, 2009.




शासकीय सेवकों के वेतन पुनरीक्षण की स्थिति में सदैव यह अपेक्षा रहती है कि वेतन पुनरीक्षण नियमों के अन्तर्गत किए गए वेतन निर्धारण का अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त करने की कार्यवाही भी सम्यक रूप से सुनिश्चित की जाए । वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अवसर पर भी संदर्भित परिपत्र के माध्यम से उपर्युक्त अनुसार निर्देश प्रसारित किए गए हैं ।

2/ शासन के ध्यान में आया है कि वेतन निर्धारण के सामयिक नियमन नहीं कराए जाने से पेंशन प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब की स्थिति निर्मित होती है । यह स्थिति तब और खेदजनक हो जाती है जब शासकीय सेवक की मृत्यु हो गई हो ।

3/ अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि लम्बित वेतन निर्धारणों का अनुमोदन संभागीय कोष एवं लेखा अथवा अन्य समकक्ष प्राधिकारी से आगामी एक माह के भीतर कराया जाना सुनिश्चित किया जावे ताकि पेंशन प्रकरण में विलम्ब की स्थिति निर्मित न हो ।

4/ कृपया समस्त अधीनस्थों से उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं ।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनिरुद्ध मुकुर्जी)
सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
4. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
7. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
8. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
11. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
13. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
14. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
15. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
16. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
25. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
26. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल ।
27. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
28. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।


(अजय चौधे)
उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग